

### 2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के प्रभारित और दत्तमत, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों की राशि के साथ तुलना किए गए खर्च के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय इंगित करते हैं। विनियोजन लेखे, इस प्रकार, वित्तों का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सरल बनाते हैं और इसलिए, वित्तीय लेखाओं के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत, प्रभारित किया जाना अपेक्षित व्यय को इस प्रकार प्रभारित किया जाता है। यह, यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.1.3 पंजाब बजट मैनुअल के अनुसार जैसा कि हरियाणा द्वारा अपनाया गया है, विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके, वित्त विभाग वार्षिक बजट की तैयारी के लिए जिम्मेवार है। विभागों के अध्यक्षों की सलाह पर नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्ययों के विभागीय अनुमान तैयार किए जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जो 'अनुमानों के लिए मांग' कहे जाते हैं। बजट की तैयारी में, उद्देश्य यथा संभव वास्तविक के यथासमीप को प्राप्त करने का होना चाहिए। इसमें अनुमानित राजस्व और अनुमानित प्रत्याशित व्यय दोनों में ही दूरदर्शिता की मांग होती है। एक अनुमान में एक परिहार्य अतिरिक्त प्रावधान उतनी ही बजटीय अनियमितता होती है जितनी कि संस्वीकृत व्यय में आधिक्य की। बजट प्रक्रिया विचार करती है कि एक विशेष मद पर व्यय के अनुमान में दी गई राशि वह राशि होनी चाहिए जो वर्ष में विस्तारित की जा सके और जो ना तो बृहद्तर हो न ही लघुत्तर। एक अनुमान में बचत उतनी ही वित्तीय अनियमितता संघटित करती है जितनी कि इसके आधिक्य में। प्राप्तियों के बजट अनुमान मौजूदा फीसों, शुल्कों, करों की दर पर आधारित होने चाहिए।

लेखापरीक्षा में अवलोकित बजट एवं व्यय के प्रबंधन में कमियां तथा बजट मैनुअल का उल्लंघन अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किया गया है।

## 2.2 विनियोजन लेखाओं का संक्षेप

46 अनुदानों/विनियोजनों के विरुद्ध 2011-12 के दौरान वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान / विनियोजन	अनुपूरक अनुदान / विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	30,474.17	2,159.13	32,633.30	27,891.42	(-) 4,741.88
	II पूंजीगत	9,017.58	633.21	9,650.79	8,805.08	(-) 845.71
	III ऋण एवं अग्रिम	956.90	202.88	1,159.78	627.07	(-) 532.71
<b>कुल दत्तमत</b>		<b>40,448.65</b>	<b>2,995.22</b>	<b>43,443.87</b>	<b>37,323.57</b>	<b>(-) 6,120.30</b>
भारित	IV राजस्व	4,586.12	14.28	4,600.40	4,224.51	(-) 375.89
	V पूंजीगत	50.00	30.00	80.00	69.60	(-) 10.40
	VI लोक ऋण - देनदारी	6,666.12	1,289.55	7,955.67	5,011.41	(-) 2,944.26
<b>कुल भारित</b>		<b>11,302.24</b>	<b>1,333.83</b>	<b>12,636.07</b>	<b>9,305.52</b>	<b>(-) 3,330.55</b>
आकस्मिक निधि विनियोजन (यदि कोई है)		-	-	-	-	-
<b>कुल योग</b>		<b>51,750.89</b>	<b>4,329.05</b>	<b>56,079.94</b>	<b>46,629.09</b>	<b>(-) 9,450.85</b>

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय, राजस्व शीर्षों (₹ 101.04 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 3,502.35 करोड़) के अन्तर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियां परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।

₹ 4,329.05 करोड़ के अनुपूरक प्रावधानों ने गत वर्ष में 17 प्रतिशत के विरुद्ध मूल प्रावधान का आठ प्रतिशत संघटित किया।

₹ 9,450.85 करोड़ की समग्र बचतें, राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत 44 अनुदानों, पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत 17 अनुदानों और ऋण अनुभाग के अन्तर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण पुनः अदायगियां) में ₹ 9,714.30 करोड़ की बचतों की परिणाम थी जो राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत एक अनुदान और पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दो अनुदानों में ₹ 263.45 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित थी। ₹ 263.45 करोड़ के आधिक्य का सविधान की धारा 205 के अन्तर्गत विनियमन अपेक्षित है।

नियंत्रण अधिकारियों को, महत्वपूर्ण अंतरों के कारणों का स्पष्टीकरण देने का अनुरोध करते हुए बचतों/आधिक्यों (विस्तृत विनियोजन लेखे) की सूचना दी गई थी (अगस्त 2012) लेकिन उनके स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2012)।

## 2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

### 2.3.1 आबंटनों की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि 48 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी (परिशिष्ट 2.1)। ₹ 9,673.12 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध, 20 अनुदानों और एक विनियोजन से संबंधित, 25 प्रकरणों में बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक ₹ 9,277.86 करोड़ (96 प्रतिशत) हुईं जैसा कि तालिका 2.2 में निदर्शित किया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 50 करोड़ या अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपुरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पण
<b>राजस्व – दत्तमत</b>							
1.	4- राजस्व	761.18	136.83	898.01	476.27	421.74	381.34
2.	6- वित्त	3,292.58	0.30	3,292.88	3,241.51	51.37	56.01
3.	8- भवन एवं सड़कें	1,059.79	6.50	1,066.29	765.54	300.75	219.25
4.	9-शिक्षा	6,801.92	2.39	6,804.31	5,921.94	882.37	862.46
5.	10-तकनीकी शिक्षा	222.47	175.33	397.80	254.32	143.48	143.50
6.	13-स्वास्थ्य	1,368.18	51.82	1,420.00	1,197.95	222.05	199.21
7.	15-स्थानीय सरकार	1,114.55	373.80	1,488.35	900.52	587.83	587.36
8.	19- एस.सी., एस.टी. तथा अन्य बी.सी. का कल्याण	339.78	3.78	343.56	249.45	94.11	93.97
9.	20- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,850.04	0.20	1,850.24	1,605.95	244.29	244.05
10.	21-महिला एवं बाल विकास	524.78	53.02	577.80	493.90	83.90	133.89
11.	23- स्वास्थ्य एवं आपूर्ति	212.22	0.27	212.49	89.71	122.78	111.97
12.	24- सिंचाई	1,226.63	144.07	1,370.70	960.89	409.81	124.46
13.	27-कृषि	915.68	29.91	945.59	655.03	290.56	279.72
14.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	1,158.66	157.25	1,315.91	1,185.28	130.63	72.67
15.	34- परिवहन	1,272.20	-	1,272.20	1,080.02	192.18	192.10
16.	36- गृह	1,621.87	45.10	1,666.97	1,561.72	105.25	108.75
17.	38- जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	925.81	521.54	1,447.35	1,342.00	105.35	440.28
<b>राजस्व – भारत</b>							
18.	6- वित्त	4,532.29	-	4,532.29	4,152.24	380.05	111.72
<b>पूंजीगत – दत्तमत</b>							
19.	87-भवन एवं सड़कें	1,573.89	20.99	1,594.88	1,243.51	351.37	352.22
20.	14- शहरी विकास	500.00	-	500.00	351.48	148.52	152.89
21.	23-स्वास्थ्य एवं आपूर्ति	4,183.31	426.76	4,610.07	4,461.13	148.94	137.55
22.	38- जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	991.00	19.22	1,010.22	809.17	201.05	275.75
23.	40- ऊर्जा एवं विद्युत	984.10	-	984.10	801.60	182.50	182.50
24.	45- राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	956.91	202.88	1,159.79	627.07	532.72	608.93
<b>पूंजीगत – भारत</b>							
25.	लोक ऋण	6,666.12	1,289.55	7,955.67	5,011.41	2,944.26	3,253.09
<b>कुल</b>		<b>45,055.96</b>	<b>3,661.51</b>	<b>48,717.47</b>	<b>39,439.61</b>	<b>9,277.86</b>	<b>9,325.64</b>

अनुदान में ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें नीचे चर्चित की गई हैं:

*i. अनुदान संख्या “9-शिक्षा” (राजस्व-दत्तमत)*

अनुदान के अंतर्गत बचतें ₹ 882.39 करोड़ थी। बचतें मुख्यतः “2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा नीचे उपशीर्ष 109-सरकारी माध्यमिक विद्यालय, 86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, 85-शैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों में मॉडल विद्यालय का खोलना, 84-कन्या होस्टलों का निर्माण आदि” (₹ 443.33 करोड़) भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदानों की कम निर्मुक्ति और “101-सरकारी प्राथमिक स्कूल, 88-प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं 1 से 5” तक की स्थापना (₹ 111.04 करोड़) पदों को खाली रखने, कम संख्या में मजदूरों को नियुक्त करने, छुट्टी यात्रा रियायत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

*ii. अनुदान संख्या “15-स्थानीय सरकार” (राजस्व-दत्तमत)*

अनुदान के अंतर्गत ₹ 587.83 करोड़ की कुल बचतें थी। ₹ 373.80 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 900.52 करोड़ का कुल व्यय मूल बजट (₹ 1,114.55 करोड़) से कम था। बचतें “2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 75-शहरी स्थानीय निकायों के लिए वेट पर अतिरिक्त अधिभार का हिस्सा” (₹ 183.41 करोड़) “मितव्यय उपायों के कारण, 80-जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, 99-साधारण योजना” (₹ 136.26 करोड़) तथा “79-लघु तथा मध्यम कस्बों के लिए शहरी मूलभूत संरचना विकास योजना, 99-साधारण योजना” (₹ 87.17 करोड़), भारत सरकार द्वारा निधियों को निर्मुक्त न करने के कारण हुई।

*iii. अनुदान संख्या “45-राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम” (पूंजी-दत्तमत)*

₹ 202.88 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि “₹ 627.07 करोड़ का कुल व्यय मूल प्रावधान (₹ 956.91 करोड़) से कम था। ₹ 532.72 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध, विभाग ने अविवेकपूर्ण ढंग से ₹ 608.93 करोड़ अभ्यर्पित किए। संचारण परियोजना के स्थगन और उत्पादन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के कारण बचतें मुख्यतः शीर्ष “6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण, “205-संचारण और वितरण” 98-हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को ऋण” (₹ 570.50 करोड़) थी।

*iv. लोक ऋण*

इन अनुदान के तहत ₹ 2,944.26 करोड़ की बचतों के विरुद्ध, ₹ 3,253.09 करोड़ अनुचित अभ्यर्पित किए। शीर्ष “6003-राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण 110-भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) से अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत बचतें (₹ 1,025.73 करोड़) मुख्यतः आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम की प्राप्ति पर कम व्यय के कारण, और “107-स्टेट बैंक आफ इंडिया और दूसरे बैंकों से ऋण” (₹ 2,189.55 करोड़) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज के कम उठाए जाने के कारण थी।

**2.3.2 अत्यधिक व्यय**

अनुदान संख्या “24-सिंचाई” में (तालिका 2.3) ₹ 10 करोड़ से ज्यादा का अधिक व्यय पिछले पांच सालों से लगातार देखा गया था:

**तालिका 2.3 : 2007-12 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय दर्शाने वाले अनुदानों की सूची**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान से आधिक्य की प्रतिशतता (अधिक व्यय की राशि)				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
<b>पूँजीगत - दत्तमत</b>						
1.	24-सिंचाई	20 (278.72)	12 (171.01)	12 (177.25)	39 (198.58)	45 (254.64)

आधिक्य मुख्यतः शीर्ष “4701-बृहद् और मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 06-जल के उचित बंटवारे हेतु नई साइडर, 001-निदेशन और प्रशासन” (₹ 275.74 करोड़) के अंतर्गत हुए।

शीर्ष “4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 203-रोजगार, 99-रोजगार भवन के लिए भूमि का क्रय के अंतर्गत “17-रोजगार” (₹ 0.50 करोड़) के अंतर्गत अधिक व्यय रोजगार भवन के लिए जमीन खरीदने के कारण था।

**2.3.3 बिना प्रावधान के व्यय**

बजट नियमावली के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना, कोई व्यय स्कीम/सेवाओं पर नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह देखा गया कि परिशिष्ट 2.2 दिए गए ब्यौरे अनुसार 19 मामलों में मूल अनुदानों/पूरक मांगों में किसी प्रावधान के बगैर तथा इस संबंध में किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 579.75 करोड़ का व्यय किया गया।

**2.3.4 बजट अनुदान के व्ययगत होने से बचने के लिए निधियों का आहरण**

पंजाब वित्तीय नियमों के नियम 2.10 (6) (5) में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार, जो हरियाणा में भी लागू है, कोई राशि ट्रेजरी से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक तुरंत वितरण हेतु अपेक्षित न हो। आहरण एवं वितरण अधिकारियों ने, जिनके कार्यालयों की 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी, परिशिष्ट 2.3 में यथा वर्णित, ₹ 30.26 करोड़ की कुल राशि आहरित की थी जो न तो पूरी तरह उन उद्देश्यों के लिए खर्च की गई जिनके लिए वे आहरित की गई थी, न ही ये वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सरकारी लेखाओं में प्रेषित की गई।

आगे, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अथवा अंतिम तिमाही के दौरान आहरित निधियां केवल बजट अनुदानों को व्ययगत होने से बचाने हेतु कौश चैस्ट में या बैंक खातों में रखी गई थी।

**2.3.5 गत वर्षों से संबंधित प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए जरूरी है कि राज्य विधायिका द्वारा अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य विनियमित करवाये जाएं यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं की चर्चा के पूरा होने के बाद अधिक व्यय का विनियमन किया जाता है। फिर भी, वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 हेतु ₹ 964.39 करोड़ की राशि का अधिक व्यय अभी विनियमित किया जाना शेष था। वर्षवार अनुदानों/विनियोजनों के लिए लंबित विनियमन वाले व्यय की वर्षवार राशियां तालिका 2.4 में संक्षेपित की गई हैं।

**तालिका 2.4: पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है**  
(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	प्रावधान पर आधिक्य की राशि	विनियमन की स्थिति
2008-09	3,8,10,15,20 और 22	302.63	पी.ए.सी. द्वारा विनियोजन लेखे चर्चित नहीं किए गए हैं।
2009-10	3,6,10 और 15	439.29	
2010-11	6, 24 और 42	222.47	
<b>कुल</b>		<b>964.39</b>	

**2.3.6 2011-12 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य जिसका विनियमन अपेक्षित है**

वर्ष 2011-12 में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकारों से अधिक ₹ 263.45 करोड़ की राशि के तीन ग्रांट्स/विनियोजन में कुल आधिक्य जिसे संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमन की जरूरत है का सार तालिका 2.5 में सम्मिलित है।

**तालिका 2.5: 2011-12 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है**  
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या और शीर्षक	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	आधिक्य
<b>राजस्व (भारत)</b>				
1.	42-न्याय प्रशासन	42.63	50.94	8.31
<b>उप-योग</b>		<b>42.63</b>	<b>50.94</b>	<b>8.31</b>
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>				
1.	17-रोजगार	0.00	0.50	0.50
2.	24-सिंचाई	568.50	823.14	254.64
<b>उप-योग</b>		<b>568.50</b>	<b>823.64</b>	<b>255.14</b>
<b>कुल योग</b>		<b>611.13</b>	<b>874.58</b>	<b>263.45</b>

अगस्त 2012 में सरकार से अधिक व्यय के कारण मांगे गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितंबर 2012)।

**2.3.7 अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान**

25 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 2,414.11 करोड़ के पूरक प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में आवेष्टित ₹ 50 लाख या इससे ज्यादा अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया जैसा कि परिशिष्ट 2.4 में वर्णित है। दो मामलों में ₹ 262.94 करोड़ के व्यय को अरक्षित छोड़ते हुए कुल ₹ 132.25 करोड़ के पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए (परिशिष्ट 2.5)।

**2.3.8 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन**

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं से जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के विचार से अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप 49 उप-शीर्षों में ₹ 1,228.74 करोड़ से अधिक के आधिक्य और प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक तक 70 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2,321.69 करोड़ की बचतें हुईं।

54-उप-शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से ज्यादा थी जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में वर्णित हैं। 12<sup>1</sup> मामलों में, पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन द्वारा कम किए गए प्रावधानों से ज्यादा था। इसी तरह, 9<sup>2</sup> मामलों में निधियों का पुनर्विनियोजन ज्यादा सिद्ध हुआ क्योंकि बचतें पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान की गई निधियों से ज्यादा थी।

### 2.3.9 वास्तविक बचतों के आधिक्य का अभ्यर्पण

12 मामलों में, अभ्यर्पित राशियां (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या ज्यादा) वास्तविक बचतों से ज्यादा थी, जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी या अपर्याप्तता इंगित करता है। ₹ 4,579.87 करोड़ की बचतों के विरुद्ध, अभ्यर्पित राशि ₹ 5,441.23 करोड़ थी परिणामस्वरूप ₹ 861.36 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ। विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है। आगे, एक मामले में 24-सिंचाई अनुदान के अंतर्गत किया गया व्यय कुल अनुदानों/विनियोजनों (₹ 254.64 करोड़) से अधिक था लेकिन फिर भी निधियों का (₹ 64.70 करोड़) अनुचित अभ्यर्पण हुआ।

### 2.3.10 अनभ्यर्पित अनुमानित बचतें

पंजाब बजट नियमावली के अनुच्छेद 13.2 के अनुसार जो हरियाणा पर भी लागू है व्यय करने वाले विभागों द्वारा जब भी बचतें अनुमानित हो, ग्रांटस/विनियोजन या उसका भाग वित्त विभाग को अभ्यर्पण किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर 16 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 18 मामलों में ₹ 3,451.81 करोड़ की कुल बचतों में से (₹ एक करोड़ व उससे ऊपर की बचतें प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में सूचित की गई थी) ₹ 847.76 करोड़ की कुल राशियां (कुल बचतों का 25 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं की गई, जिसके विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 41 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ के आधिक्य में निधियों का अभ्यर्पण) में मार्च 2012 के अंतिम दो दिनों में ₹ 9,715.55 करोड़ (**परिशिष्ट 2.9**) अभ्यर्पित किए गए जो अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण तथा अन्य विकास प्रयोजनों के लिए निधियों की अनुपयोगिता इंगित करता है।

### 2.3.11 व्यय का वेग

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56 प्रावधान करता है कि व्यय पूरे साल समान रूप से होने चाहिए और अंतिम महीने में व्यय के वेग को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाता है और इसे टालना चाहिए। इसके विपरीत **परिशिष्ट 2.10** में सूचीबद्ध 13 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 21 शीर्षों के संबंध में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा के व्यय और वर्ष के लिए कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी ज्यादा मार्च 2012 में या वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किए गए।

आगे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2011-12 के दौरान 13 अनुदानों के अंतर्गत 21 मुख्य शीर्षों पर किए गए ₹ 5,445.35 करोड़ के व्यय में से, ₹ 2,411.41 करोड़ (44 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2012 के महीने के दौरान किया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च महीने के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

1 **परिशिष्ट 2.6** की क्र.सं. 16,32,36,51,55,58,71,72,88,90,101 और 116

2 **परिशिष्ट 2.6** की क्र.सं. 8,13,15,57,67,68,69,78 और 105

## 2.4 बजटीय धारणाओं के विश्लेषण के परिणाम

योजना आयोग ने, ₹ 35,000 करोड़ की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) अनुमोदित की, जिसमें वर्ष 2011-12 हेतु ₹ 13,200 करोड़ का प्रावधान किया गया। राज्य बजट, वृद्धि प्रणाली अपनाते हुए तैयार किया गया, अर्थात् सभी चल रही स्कीमों पर पहले उपलब्ध स्रोत प्रभारित किए जाते हैं तथा नई स्कीमों में तत्पश्चात् सम्मिलित की जाती हैं। वित्त विभाग ने गत वर्ष तथा सितंबर तक चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़े परिगणना में लेते हुए विभागीय प्रस्तावों की जांच की। वर्ष 2011-12 हेतु अनुमान 2009-10 के वास्तविक पूर्व आंकड़े तथा सितंबर 2010 तक आधार वर्ष 2010-11 की प्राप्तियों/व्यय को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। प्रक्षेपित प्राप्तियों एवं व्यय तथा उनके विरुद्ध वास्तविकों के विवरण परिशिष्ट 2.11 में दिए गए हैं।

### 2.4.1 बजटीय धारणाओं में कमियां

बी.ई. तथा संशोधित अनुमानों (आर.ई.) को तैयार करने में प्रक्रिया तथा पारदर्शिता की जांच करने हेतु वित्त विभाग में वर्ष 2011-12 हेतु बी.ई. को तैयार करने हेतु प्राप्तियों एवं व्यय हेतु बनाई गई बजटीय धारणाओं तथा उसके विरुद्ध वास्तविकों का विश्लेषण किया गया (जून-अगस्त 2012)। तालिका 2.6 में वर्णित प्रकरणों में बजटीय धारणाएं वास्तविक आधारों पर आधारित नहीं थीं।

तालिका 2.6: अवास्तविक बजटीय धारणाएं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	बजट प्रावधान 2011-12	वास्तविक	टिप्पणियां
<b>राजस्व प्राप्तियां</b>				
1	योजनेत्तर राजस्व प्राप्तियां	28,914.12	29,049.16	2010-11 की बी.ई. (₹ 22543.36 करोड़) पर, 2011-12 में, 12.8 प्रतिशत की मानी गई वृद्धि के विरुद्ध, 28.26 प्रतिशत की वृद्धि की गई। फिर भी, 2010-11 की वास्तविक प्राप्तियों (₹ 24,279.03 करोड़) पर 2011-12 में वास्तविक संग्रहण में बढ़ोतरी केवल 19.65 प्रतिशत थी।
2	कर राजस्व	20,006.89	20,399.45	बी.ई. (2011-12) में प्रक्षेपण (₹ 20,006.89 करोड़) ने बी.ई. (2010-11) (₹ 16,469.29 करोड़) पर 12.9 प्रतिशत की संभावित वृद्धि के विरुद्ध 21.48 प्रतिशत वृद्धि संघटित की। वास्तविक प्राप्तियां, 2010-11 की वास्तविक प्राप्तियों (₹ 16,790.37 करोड़) से 21.5 प्रतिशत उच्चतर थी।
क)	बिक्रीकर (वैट)	14,100	13,383.69	2010-11 की आर.ई. ₹ 12,300 करोड़ पर 2011-12 के दौरान मूल्य वृद्धित कर की 14.6 प्रतिशत पर बढ़ोतरी मानी गई। तथापि, वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 14,100 करोड़ पर आर.ई. की धारणा वास्तविक नहीं थी जैसा कि वास्तविक प्राप्त ₹ 13,383.69 करोड़ थी।
ख)	वाहनों पर कर	बी.ई. 515 आर.ई. 700	740.15	2011-12 में ₹ 740.15 करोड़ की वास्तविक प्राप्त की तुलना में बी.ई. ₹ 515 करोड़ और आर.ई. ₹ 700 करोड़ क्रमशः ₹ 225.15 करोड़ और ₹ 40.15 करोड़ तक अनुमानित थी।
ग)	माल एवं यात्रियों पर कर	बी.ई. 425 आर.ई. 410	429.32	2010-11 के प्रक्षेपणों पर कर राजस्व 12.9 प्रतिशत पर बढ़ना था। लेकिन 2011-12 के दौरान प्रक्षेपण 2010-11 के समान किए गए जो आगे संशोधित अनुमानों में ₹ 410 तक कमी कर दी गई। वास्तविक संग्रहण ₹ 429.32 करोड़ था जो बी.ई. के अनुरूप थी। इस प्रकार आर.ई. अवास्तविक रूप से कम कर दी गई और मानी गई बढ़ोतरी प्राप्त नहीं की गई।
घ)	भू-राजस्व	बी.ई. 16.09 आर.ई. 14.66	10.95	'भू-राजस्व' के तहत ₹ 14.66 करोड़ की आर.ई., बी.ई. 2011-12 (₹ 16.09 करोड़) की तुलना में ₹ 1.43 करोड़ तक कम कर दी गई जबकि वास्तविक प्राप्त (₹ 10.95 करोड़) आर.ई. से कम थी। वास्तविक प्राप्त की पिछली प्रवृत्ति जो 2009-10 में ₹ 9.43 करोड़ थी और 2010-11 में ₹ 10.02 करोड़ थी, 2011-12 में बी.ई. प्रक्षेपण करते समय ध्यान में नहीं रखी गई।

3 वास्तविक पूर्व आंकड़े, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा वित्त लेखाओं के अन्तिमकरण से पूर्व आपूरित आंकड़े हैं।

क्र.सं.	विवरण	बजट प्रावधान 2011-12	वास्तविक	टिप्पणियां
<b>राजस्व प्राप्तियां</b>				
3	राज्य के स्वयं के कर-भिन्न राजस्व	4,287.08	4,721.65	बी.ई. 2011-12 में प्रक्षेपण ( ₹ 4,287.08 करोड़) ने 16 प्रतिशत की मानी गई वृद्धि के विरुद्ध बी.ई. 2010-11 ( ₹ 3,548.52 करोड़) पर 20 .81 प्रतिशत बढ़ोतरी संघटित की। फिर भी, 2011-12 में ₹ 4,721.65 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियां, 2010-11 में संग्रहित प्राप्तियों ( ₹ 3,420.93 करोड़) से 38.02 प्रतिशत तक उच्चतर थी।
क)	पथ परिवहन	1,100 संशोधित 900	852.96	वर्ष 2011-12 के लिए 'पथ परिवहन' के तहत बी.ई. ( ₹ 1,100 करोड़) ₹ 900 करोड़ तक संशोधित की गई। वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 852.96 करोड़ की वास्तविक वसूली संशोधित अनुमानों से कम थी जिसने सूचित किया कि अनुमान वास्तविक नहीं थे।
ख)	वृहद् सिंचाई	बी.ई.136 आर.ई. 634.08	575.72	कर-भिन्न प्राप्तियों में बी.ई. 2010-11 पर 16 प्रतिशत तक की वृद्धि मानी गई। 2011-12 में बी.ई. ₹ 136 करोड़ रखी गई थी 2010-11 में ( ₹ 182.59 करोड़) प्रावधानों से कम थी। ये अनुमान ₹ 634.08 करोड़ तक संशोधित किए गए, जिनके विरुद्ध वास्तविक संग्रहण ( ₹ 575.72 करोड़) था। इस प्रकार प्रक्षेपण वास्तविक नहीं थे।
ग)	अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग	बी.ई.75 आर.ई. 90	75.53	'वर्ष 2011-12' के दौरान 'अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग' के तहत बी.ई. ₹ 75 करोड़ से 90 करोड़ तक संशोधित की गई। वास्तविक वसूली ₹ 75.53 करोड़ थी इस प्रकार आर.ई. अवास्तविक ढंग से बढ़ाई गई।
4	सहायतानुदान	4,959.11	2,754.93	टी.एच.एफ.सी. की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा राज्य को सहायतानुदान जारी किए गए। इस लिए बी.ई. में प्रावधान टी.एच.एफ.सी. की सिफारिशों के अनुसार किया जाना चाहिए। 2011-12 के दौरान किया गया प्रावधान ते.वि.आ. की अनुशंसा से ज्यादा था और वास्तविक नहीं था।
<b>व्यय</b>				
5	योजनेत्तर व्यय	24,939.45	25,503.86	₹ 24,939.45 करोड़ का प्रावधान राजस्व लेखों पर ₹ 24,861.43 करोड़ और पूंजीगत लेखे पर ₹ 78.02 करोड़ से समायुक्त है। पूंजीगत लेखे पर ₹ 1,018.17 करोड़ और ऋणों एवं अगिर्मों पर ₹ 262.86 करोड़ का व्यय बजट प्रावधानों से ज्यादा था। इस प्रकार बी.ई. में प्रावधान वास्तविक नहीं थे।

#### 2.4.2 योजना अनुमानों में कमियां

2011-12 के दौरान योजनागत व्यय ₹ 13,400 करोड़ निर्धारित किया गया था। ₹ 12,510.36 करोड़ का वास्तविक व्यय (93 प्रतिशत) प्रक्षेपणों से कम था। भिन्नताएं, निम्न तथ्यों के कारण थी:

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में ₹ 1,874.03 करोड़ की 74 प्लान स्कीमें अनुमोदित की गई परन्तु इन स्कीमों के निष्पादन हेतु मार्च 2012 तक बजट प्रावधान नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.12) इनमें से तीन स्कीमों, ₹ 688.19 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अधीन अनुमोदित की गई थी (परिशिष्ट 2.13)। अनुमोदित स्कीमों के अकार्यान्वयन हेतु कारण प्रतीक्षित थे (सितंबर 2012)।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में ₹ 1,921.45 करोड़, हेतु अनुमोदित 137 स्कीमों/परियोजनाएं, सरकार द्वारा ₹ 415.56 करोड़, 2007-08 (₹ 256.98 करोड़), 2008-09 (₹ 98.36 करोड़), 2009-10 (₹ 58.32 करोड़), तथा 2010-11 (₹ 1.40 करोड़) का व्यय करने के पश्चात् छोड़ दी गई (परिशिष्ट 2.14)।
- 2011-12 हेतु अनुमोदित योजना में सम्मिलित ₹ 292.88 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के साथ कुल 48 स्कीमों कार्यान्वयित नहीं की गई (परिशिष्ट 2.15) इनमें से, ₹ 21.44 करोड़ के परिव्यय के साथ

20 स्कीमें 2010-11 की अनुमोदित वार्षिक योजना में सम्मिलित थी तथा ₹ 7.41 करोड़ के परिव्यय सहित पांच स्कीमें भी 2009-10 की अनुमोदित वार्षिक योजना में सम्मिलित थी।

- (iv) 2011-12 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 21 स्कीमों के लिए किया गया ₹ 93.04 करोड़ का प्रावधान, आर.ई. में ₹ 53.53 करोड़ तक कम कर दिया गया लेकिन स्कीमें कार्यान्वयित नहीं की गई जिसके लिए कारण नहीं दिए गए (अगस्त 2012) (परिशिष्ट 2.16)।
- (v) अनुमोदित परिव्यय में पांच स्कीमों हेतु किया गया ₹ 21.29 करोड़ का प्रावधान आर.ई. में ₹ 36.07 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था परन्तु वर्ष 2011-12 के दौरान व्यय नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.17)।
- (vi) संशोधित परिव्यय तथा अनुमोदित परिव्यय में 63 स्कीमों के लिए ₹ 98.79 करोड़ का प्रावधान किया गया, लेकिन वर्ष 2011-12 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.18)। स्कीम के अकार्यान्वयन हेतु कारण सूचित नहीं किए गए थे (सितंबर 2012)।
- (vii) 48 स्कीमों के लिए किया गया ₹ 2,581.48 करोड़ का प्रावधान ₹ 2,885.06 करोड़ तक बढ़ा दिया गया जिनके विरुद्ध ₹ 1,641.47 करोड़ का व्यय वर्ष 2011-12 के दौरान किया गया। आगे, पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों का संवर्धन अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि कुल व्यय, मूल अनुमानों से कम था (परिशिष्ट 2.19)।
- (viii) वर्ष 2011-12 के दौरान 27 नई प्लान स्कीमें ₹ 367.39 करोड़ के प्रावधान के साथ आर.ई. में सम्मिलित थी, जिनके विरुद्ध ₹ 284.79 करोड़ (78 प्रतिशत) का व्यय किया गया (परिशिष्ट 2.20)। इनमें से, ₹ 58.44 करोड़ के कुल प्रावधान वाली 11 स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई।
- (ix) वर्ष 2011-12 के दौरान बी.ई./आर.ई. में किसी प्रावधान के बिना दो स्कीमों के विरुद्ध ₹ 9.43 करोड़ का व्यय किया गया (परिशिष्ट 2.21)। प्रावधान के बिना व्यय करने हेतु कोई कारण नहीं दिए गए थे (सितंबर 2012)।

## 2.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो अनुदानों (अनुदान संख्या "13 स्वास्थ्य"<sup>4</sup> तथा "36-घर"<sup>5</sup>) के व्यय पर बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा गत तीन वर्षों के दौरान बचतों एवं आधिक्य तथा वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदानों तथा पूरक मांगों के विस्तार के आधार पर की गई थी (जून-अगस्त 2012)। 2011-12 के लिए इन अनुदानों की समीक्षा के दौरान अवलोकित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे वर्णित हैं:

### 2.5.1 अनुदान संख्या 13 स्वास्थ्य

- (i) अनुदान के अंतर्गत ₹ 1,420.20 करोड़ (मूल: ₹ 1,368.39 करोड़ तथा पूरक: ₹ 51.81 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,198.08 करोड़ का व्यय किया गया था परिणामतः ₹ 222.12 करोड़ की बचतें हुई (कुल प्रावधान का 15.64 प्रतिशत)।

4 मुख्य शीर्ष से संबंधित, "2210-चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य" तथा "2211-परिवार कल्याण"।

5 मुख्य शीर्ष से संबंधित, "2055-पुलिस," राजस्व अनुभाग में "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं" तथा "4055-पूँजीगत अनुभाग में पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय"।

- (ii) राजस्व (दत्तमत) सैक्शन के अंतर्गत बचतें मुख्यतः शीर्ष “2210-चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य, 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान, 105-एलोपैथी” (₹ 58.96 करोड़) के अंतर्गत कालेज बिल्डिंग के निर्माण के लिए बिल का भुगतान न होने और पदों को रिक्त रखने के कारण, और पद रिक्तियां होने के कारण, “04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-मेडीसन की अन्य प्रणाली, 101-आयुर्वेद” (₹ 28.64 करोड़) पदों को रिक्त रखने और चिकित्सीय दावों की कम संख्या की प्राप्ति तथा भारत सरकार से निधियों की अप्राप्ति के कारण, “03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र” (₹ 29.84 करोड़) पदों को रिक्त रखने, मरम्मत/ए.एम.सी. बिलों की लम्बनता के कारण, उप-शीर्ष “01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, 102-कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम” (₹ 38.05 करोड़) पदों को रिक्त रखने, दवाओं के आपूर्ति आदेशों को अन्तिम न करने, कैम्प न लगाने, उपकरणों की अनापूर्ति, प्रीमियम की कम दर, ठेकेदारी स्टाफ न लगाने इत्यादि के कारण हुई। पदों को रिक्त रखने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम भुगतान तथा कर्मचारियों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ न उठाने के कारण शीर्ष “2211-परिवार कल्याण, 101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं” (₹ 15.80 करोड़) के अंतर्गत भी बचत हुई।
- (iii) अनुदान के अंतर्गत ₹ 222.12 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध ₹ 199.29 करोड़ की राशि 31 मार्च 2012 को अभ्यर्पित की गई थी। इस प्रकार, ₹ 22.83 करोड़ की बचतें अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण दर्शाते हुए अभ्यर्पित नहीं की गई थी तथा तथ्य कि इन निधियों का उपयोग सरकार की अन्य विकास स्कीमों/कार्यक्रमों में नहीं किया जा सका।
- (iv) राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत ₹ 51.81 करोड़ के पूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण थे तथा अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय (₹ 1,198.08 करोड़), मूल प्रावधान (₹ 1,368.39 करोड़) तक भी नहीं पहुंचा।
- (v) पंजाब बजट मैनुअल, जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है, का अनुच्छेद 5.3 प्रावधान करता है कि बजट अनुमान यथा संभव समीप एवं परिशुद्ध होना चाहिए तथा प्रत्येक मद के संबंध में सम्मिलित किया जाने वाला प्रावधान, वर्ष के दौरान जो भुगतान या व्यय किया जाना है, पर आधारित होना चाहिए। यह देखा गया था कि 30 स्कीमों के लिए किया गया ₹ 12.57 करोड़ का समग्र बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा तथा स्कीमों के अकार्यान्वयन के कारण अभ्यर्पित किया गया (परिशिष्ट 2.22)।
- (vi) वित्तीय नियम प्रावधान करते हैं कि व्यय, संपूर्ण वर्ष समान रूप से किया जाना चाहिए तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम मास में व्यय के वेग का परिहार किया जाना चाहिए। 2011-12 के दौरान, 12 स्कीमों पर ₹ 22.04 करोड़ का व्यय किया गया था (परिशिष्ट 2.23) जिसमें से ₹ 11.84 करोड़ (54 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही के दौरान और ₹ 7.89 करोड़ (36 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2012 के दौरान किया गया था। अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च माह के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

### 2.5.2 अनुदान संख्या 36 घर

- (i) अनुदान के अंतर्गत ₹ 1,778.36 करोड़ (मूल: ₹ 1,717.76 करोड़ तथा पूरक: ₹ 60.60 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,672.72 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामतः ₹ 105.53 करोड़ (कुल प्रावधान का 6 प्रतिशत) की बचतें हुई।
- (ii) राजस्व (दत्तमत) सैक्शन के अंतर्गत बचतें, मुख्यतः शीर्ष “2055-पुलिस, 115-पुलिस बल का आधुनिकीकरण” (₹ 35.51 करोड़) पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए मशीनरी और उपकरणों की

खरीद की मंजूरी की अप्राप्ति के कारण, “800-अन्य व्यय” (₹ 7.30 करोड़) स्कीम के अंतर्गत ऋण के ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए मंजूरी की अप्राप्ति के कारण, “003-शिक्षा और प्रशिक्षण” (₹ 9.36 करोड़) पदों को रिक्त रखने के कारण, “113-पुलिस कार्मिकों के कल्याण” (₹ 5 करोड़) सरकार से मंजूरी की अप्राप्ति के कारण और “2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 106-सिविल सुरक्षा” (₹ 3.04 करोड़) भवनों और उपकरणों की खरीद के लिए कोडल औपचारिकताओं की अपूर्णता, रिक्त पदों के कारण हुई।

- (iii) अनुदान के अंतर्गत ₹ 105.53 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध ₹ 109.10 करोड़ की राशि 31 मार्च 2012 को अविवेकपूर्ण ढंग से अभ्यर्पित की गई थी। निधियों के अत्यधिक अभ्यर्पण का कारण सूचित नहीं किया गया था (अगस्त 2012)।
- (iv) ₹ 60.60 करोड़ (राजस्व के अंतर्गत ₹ 45.60 करोड़ और पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत 15 करोड़) के पूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण थे तथा अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय (₹ 1,672.83 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,717.76 करोड़) तक भी नहीं पहुंचा।
- (v) पंजाब बजट मैनुअल, जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है, का अनुच्छेद 5.3 प्रावधान करता है कि बजट अनुमान यथा संभव समीप एवं परिशुद्ध होना चाहिए तथा प्रत्येक मद के संबंध में सम्मिलित किया जाने वाला प्रावधान, वर्ष के दौरान जो भुगतान या व्यय किया जाना है, पर आधारित होना चाहिए। यह देखा गया था कि 16 स्कीमों के लिए किया गया ₹ 35.00 लाख का समग्र बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा तथा स्कीमों के अकार्यान्वयन के कारण अभ्यर्पित किया गया (परिशिष्ट 2.24)।
- (vi) वित्तीय नियम प्रावधान करते हैं कि व्यय, संपूर्ण वर्ष समान रूप से किया जाना चाहिए तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम मास में व्यय के वेग का परिहार किया जाना चाहिए। 2011-12 के दौरान, 66 स्कीमों पर ₹ 82.36 करोड़ का व्यय किया गया था (परिशिष्ट 2.25) जिसमें से, ₹ 42.33 करोड़ (51 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही के दौरान और ₹ 35.27 करोड़ (43 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2012 के दौरान किया गया था। अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च माह के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

### 2.5.3 बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

2011-12 हेतु बजट अनुमान, प्रशासनिक विभाग तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा 6 नवम्बर 2010 से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इसके विपरीत, तीन विभागाध्यक्षों ने (अनुदान संख्या 13 और अनुदान संख्या 36) वित्त विभाग को अपने बजट अनुमान 30 तथा 107 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलम्बों के पश्चात प्रस्तुत किए (परिशिष्ट 2.26)।

## 2.6 नए उप विस्तृत एवं विषय शीर्ष खोलना

भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संघ और राज्यों के लेखाओं का संकलन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। उससे, उन फार्मों जिनमें लेखाओं को रखा जाना है, निश्चित करने अपेक्षित हैं। इसीलिए, लेखा-शीर्ष, जिनके अंतर्गत लेखाओं को तैयार किया जाना है, सी.ए.जी. के द्वारा निश्चित किए जाने अपेक्षित हैं। राज्य सरकार, अपने लेखाओं के नए शीर्षों/उपशीर्षों को खोलने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

वर्ष 2011-12 और 2012-13 हेतु राज्य सरकार ने बजट प्रलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि राज्य सरकार ने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) [ए.जी. (ए. एंड ई.)] की पूर्व सहमति के बिना ही लेखा शीर्ष और उप शीर्ष खोले। ए.जी. (ए. एंड ई.) की सहमति के बिना खोले गए लेखा शीर्षों के विवरण परिशिष्ट 2.27 में दिए गए हैं।

## 2.7 निष्कर्ष

2011-12 के दौरान, ₹ 56,079.94 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 46,629.09 करोड़ का व्यय किया गया। ₹ 9,450.85 करोड़ की समग्र बचत, ₹ 9,714.30 करोड़ की कुल बचतों में से थी जो ₹ 263.45 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा प्रतिलुलित की गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 से संबंधित 13 अनुदानों में ₹ 964.39 करोड़ के अधिक व्यय का विनियमन भी अपेक्षित था। 12 प्रकरणों में, इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाते हुए वास्तविक बचत से ₹ 861.36 करोड़ का आधिक्य प्रत्यर्पण दर्शाते हुए ₹ 5,441.23 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अभ्यर्पित किए गए थे। 18 प्रकरणों में ₹ 3,451.81 करोड़ की बचतों (एक करोड़ तथा अधिक की बचत) में से ₹ 847.76 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित नहीं की गईं। 41 प्रकरणों (₹ 10 करोड़ के आधिक्य में निधियों का अभ्यर्पण) में ₹ 9,715.55 करोड़ वित्तीय वर्ष के दो अन्तिम कार्य दिवसों में अभ्यर्पित किए गए थे। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के भी प्रकरण थे।

## 2.8 अनुशंसाएं

- सभी सरकारी विभागों, जहां गत पांच वर्षों से नियमित रूप से बचतें/आधिक्य अवलोकित किए गए हैं, में बजटीय नियंत्रण सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर बृहद् बचतों/आधिक्यों, पुनर्विनियोजनों तथा अभ्यर्पणों के परिहार हेतु प्राप्तियों एवं व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने हेतु सभी विभागों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए।
- वर्ष की समाप्ति पर निधियों की निर्मुक्ति का परिहार किया जाना चाहिए। अत्यधिक और अपर्याप्त निधियों के परिहार हेतु पुनर्विनियोजन विवेकपूर्ण होने चाहिए।
- प्रत्याशित बचतें, जब कभी ये संभावित हों, अभ्यर्पित की जानी चाहिए ताकि राशियां अन्य स्कीमों पर प्रयुक्त की जा सकें।
- लेखा शीर्षों और उप-शीर्षों को खोलते समय राज्य सरकार द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पूर्व सहमति ली जानी चाहिए।